



राज्य शाही आजीविका मिशन, (एस०य०एल०एम०)

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, -सूडा उ.प्र.)

सूडा भवन, भूखण्ड सं-23, सेक्टर-7, निकट डायल 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226010

e-mail:nulmup@gmail.com

website:www.sudaup.org



पत्रांक २४६ / 241/NULM/Teen/2001(EST&P)-2017-18

दिनांक 20/08/2018

EST&P के अन्तर्गत ई-निविदा के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के इम्पैनलमेन्ट हेतु प्रकाशित RFP No. 902 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2017-18(EST&P) दिनांक 22.01.2018 के सापेक्ष कार्यालय संख्या-2247 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2001 (EST&P) 2017-18 दिनांक 20.07.2018 द्वारा अर्ह एवं अनर्ह संस्थाओं की जारी की गई सूची में इम्पैनलमेन्ट हेतु अनर्ह एवं अर्ह संस्थाओं द्वारा EMD वापस प्राप्त करने हेतु सूचना।

उक्त कार्यालय-ज्ञाप के माध्यम से इम्पैनलमेन्ट हेतु अनर्ह एवं अर्ह संस्थाओं को EMD वापस प्राप्त करने हेतु निम्न प्रपत्रों को उपलब्ध करना अनिवार्य है:

1. निविदा के Annexure A के बिन्दु 5 के अनुसार " The EMD of unsuccessful bidder shall be refunded within 30 days after finalization of empanelment list by SULM, UP. EMD of the successful bidders shall be refunded upon signing of agreement/completion of empanelment period of without any interest on request of bidders."
2. संस्था के लेटरहेड पर EMD वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, निविदा में हस्ताक्षरित संस्था के प्रमुख/अधिकृत व्यक्ति द्वारा यह आवेदन पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र में संस्था के बैंक खाते का निम्नलिखित विवरण अंकित होना अनिवार्य है-
 - संस्था का नाम.....
 - बैंक का नाम.....
 - बैंक शाखा का पता.....
 - बैंक खाता संख्या.....
 - IFSC कोड.....
4. आवेदन पत्र के साथ 1 लाख की EMD के DD की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रताप सिंह
20/08/18

(उद्यम प्रताप सिंह)
परियोजना अधिकारी
प्रभारी एनयूएलएम०